भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 606
जिसका उत्तर गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में लंबित सिफारिशें

606 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई लंबित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों की लंबित अवधि और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसी लंबित सिफारिशों पर कार्रवाई करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : तारीख 18.07.2025 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1122 स्वीकृत पदों में से, 751 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 371 पद रिक्त हैं । इन रिक्तियों के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 178 प्रस्ताव, सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । 193 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त होनी हैं ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश वाद) के साथ पठित उसके 6 अक्तूबर, 1993 के (दूसरा न्यायाधीश वाद) उसके निर्णय के अनुसरण में, वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को प्रारंभ

करने का उत्तरदायित्व, उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों को कोई रिक्ति होने से कम से कम 6 मास पूर्व सिफ़ारिशें देनी अपेक्षित है । हालाँकि, इस समय सीमा का पालन बहुत कम होता है । उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाते हैं । इन सिफ़ारिशों पर विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों की दृष्टि से भी विचार किया जाना होता है । इसके पश्चात्, उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफ़ारिशें सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं । केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा जिनके नामों की सिफ़ारिश की गई हो ।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है । इसके लिए राज्य और केंद्रीय, दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है । इसलिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में लगने वाले समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।
